महत्वपूर्ण

संख्या-36/2018/592/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 मार्च 2018

विषयः-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक मद में धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2311-12/स.क./विकास/58/मु0सा0वि0यो0 /2017-18 दिनांक-15.02.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक्विचारोपरान्त मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि में से 02 प्रतिशत की धनराशि योजना के प्रचार-प्रसार/प्रशासनिक मद में व्यय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक से लागू होगी।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-36/2018/592(1)/26-3-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1--महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3-प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5-निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।

6-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

7-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

8-समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

9-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

10-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), उ0प्र0।

11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।